

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

मऊ

तहसील

मोहम्मदाबाद गोहना

आवेदन क्र०

241920030011902

प्रमाणपत्र क्र०

624243006345

जारी दिनांक: 10/01/2024

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

शालू मौर्या/Shalu Maurya

वीरेन्द्र मौर्या

शकुंतला मौर्या

,ग्राम - सांगर पोस्ट - बम्हानपुरा

मोहम्मदाबाद गोहना

मऊ



उत्तर प्रदेश राज्य की कोडरी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि **शालू मौर्या/Shalu Maurya** पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: सुनीत राव , आईपीसीएल जन सेवा केंद्र

पद: सुनीत राव , केन्द्र प्रभारी

स्थान : IMLIYADIH, मऊनाथ मंजु, अन्य

(Other), परदहों, मऊनाथ मंजु

दिनांक: 13/01/2024

हस्ताक्षर एवं मुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा जारी किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

UMESH

KUMAR

SINGH

Digitally Signed by

UMESH KUMAR

SINGH O=Personal,

S=UTTAR

PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ

दिनांक: 10/01/2024